विविध बैंक प्र0सं0 15/2017 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुखाड़िया सर्किल जरिये मुख्य प्रबन्धक बनाम 1–रोहित सोनी पुत्र श्री नरेश कुमार सोनी निवासी मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर 2–अमित सोनी पुत्र श्री नरेश कुमार सोनी निवासी मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर 3–गोविन्द कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान न0 1 टी 37 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–07–2017

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सुखाडिया सर्किल श्रीगंगानगर के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सुखाड़िया सर्किल श्रीगंगानगर के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी रोहित सोनी, अमित सोनी पिसरान नरेश कुमार सोनी निवासी 1 के 25 सदभावना नगर श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 10,50,000/–रूपये (अखरे रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 13.05.2013व 14.08.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी रोहित सोनी एवं अमित सोनी ऋणीयों अपना मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर साईज 13 गुणा 35 फुट कुल 455 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.10.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीयान ऋणीयों की ओर दिनांक 19.10.2016 तक ऋण राशि 10,68,847–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 19.10.20166 को जारी किया गया। दिनांक 27.10.2016 को नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण रोहित सोनी एवं अमित सोनी ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर साईज 13 गुणा 35 कुल 455 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 10,50,000/–रूपये ऋण राशि के रूप में दिनांक 13.05.2013 एवं 14.08.2014 को अप्रार्थीगण ऋणी रोहित सोनी, अमित सोनी पिसरान नरेश कुमार सोनी निवासी 1 के 25 सदभावना नगर श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था। जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीगण रोहित सोनी एवं अमित सोनी ने

अपनी सम्पति मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर साईज 13 गुणा 35 कुल 455 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 19.10.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये और उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ऋणी व गारन्टर अप्रार्थी सं0 3 गोविन्दकुमार द्वारा उक्त नोटिसो पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि अप्रार्थी सं0 1–रोहित सोनी मूल ऋणी व अप्रार्थी सं0 2–अमित सोनी सह ऋणी के धारा 13(2) के दोनो नोटिस अमित सोनी सह ऋणी द्वारा प्राप्त किये गये है परिणाम स्वरूप रजि0 ए.डी. रसीद पर अमित सोनी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी सं0 3–गोविन्द कुमार गारन्टर है जिसके धारा 13(2) के नोटिस की तामील उसके पते पर हुई है किन्तु बैंक द्वारा उक्त गारन्टर के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नही चाही है बल्कि ऋणी रोहित सोनी व सहऋणी अमित सोनी द्वारा अपनी संयुक्त सम्पति ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक पास बधंक रखी गई है का ही प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना है। ऋणी रोहित सोनी व सहऋणी अमित सोनी के धारा 13(2) के नोटिसो के संबंध में कोई आक्षेप व अभ्यावेदन बैंक को पेश नही किया गया है और न ही बकाया राशि जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 1–रोहित सोनी मूल ऋणी व अप्रार्थी सं0 2–अमित सोनी सह ऋणी द्धारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी संयुक्त सम्पति मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर साईज 13 गुणा 35 कुल 455 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

54-85 /07/17

अतः स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सुखाड़िया सर्किल श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी सं0 1–रोहित सोनी मूल ऋणी व अप्रार्थी सं0 2–अमित सोनी सह ऋणी द्धारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी संयुक्त सम्पति मकान न0 1 के 25 सदभावना नगर, श्रीगंगानगर साईज 13 गुणा 35 कुल 455 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11–07–2017 को मेर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञानाराम

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर